तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6/24	पक्षकारान उपस्थित। वकील अपीलांट को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर बहस हेतु पेशी दिनांक 15/7/24 नियत की गई।	
15/7/24	पक्षकारान उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल क्षैत्राधिकार/श्रवणाधिकार पर बहस हेतु दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	
5/8/24	पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलांट ने नगरपरिषद बूंदी द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 02/10/21 को निरस्त किये जाने बाबत उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार/श्रवणाधिकार में होने से यहां सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि वकील रेस्पो० द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि यह अपील किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यहां पेश की गई है, अपीलांट द्वारा अपील मीमों में इसका अंकन नहीं किया गया। नगरपरिषद बून्दी के आदेश की अपील इस न्यायालय में पेश किये जाने का विधिक प्रावधान नहीं होने से अपील अपीलांट यहां चलने योग्य नहीं होने खारिज की जावें।	

FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..............................नं. ....सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा बहस पर मननकिया। जिससे प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा यह अपील किस कानून के अन्तर्गत पेश कीगई है, इसका अपील में उल्लेख नहीं कियागया है। दौराने बहस भी वकील अपीलांट क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार बाबत कोई विधिक प्रावधान पेश नहीं करपाये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बिना क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के हस्तगत अपील यहां पेश कीगई है। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10/06/2016 के अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के अभाव में अस्वीकार की जाती है तथा मूल पत्रावली सक्षम स्तर पर कार्यवाही हेतु अपीलांट को लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर; बून्दी	न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)